दैनिक भास्कर बिलासपुर भास्कर 16-07-2025

हादसा • सड़क पर मवेशियों को लेकर चार दिन पहले ही सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने लगाई थी फटकार

सड़क पर बैठी गायों के झुंड पर चढ़ा दिया तेज रफ्तार हाइवा, 17 की तड़प-तड़प कर गई जान

क्राइमरिपोर्टर | बिलासपुर / रतनपुर

रतनपुर केंदा मार्ग पर बारीडीह के पास देर रात हुई घटना, गुस्से में ग्रामीण: कहा- गौवंशों को बचाने कदम उठाएं

रतनपुर-केंदा मार्ग पर ग्राम बारीडीह के पास सोमवार की रात तेज रफ्तार हाइवा सड़क पर बैठी गायों को रौंदते हुए आगे बढ़ गया। इससे 17 की मौके पर मौत हो गई और 5 घायल हो गए। घटना रतनपुर से करीब 18 किलोमीटर दूर केंदा पेंड्रा मार्ग पर हुई। रात को बारीडीह के पेट्रोलपंप के पास बड़ी संख्या में गाय बैठी थी। देर रात रतनपुर की ओर से आ रहा तेज रफ्तार हाइवा उन्हें रौंदते हुए आगे बढ़ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गायों को बचाने ड्राइवर ने ब्रेक तक नहीं लगाया। इसके कारण 17 की मौके पर ही मौत हो गई और 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद हाइवा लेकर चालक फरार हो गया। रफ्तार इतनी थी कि गाड़ी का नंबर नहीं देख पाए। सूचना मिलने पर रतनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल गायों को पशु चिकित्सालय भेजा। मृत गायों की पंचायत की मदद से अंतिम क्रिया संपन्न कराई गई। पुलिस ने आरोपी हाइवा चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। उसका पता लगाने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। इधर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क पर घूमते या बैठे गौवंशों की सुरक्षा को लेकर प्रभावी कदम उठाए जाएं साथ ही ऐसे लापरवाह चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

हादसे के बाद सड़क पर मवेशियों के शव दूर तक फैले हुए थे।

हाईकोर्ट ने कहा था- कोर्ट ना देखे तो क्या सरकार काम नहीं करेगी

11 जुलाई को हाईकोर्ट ने सड़क की खराब स्थिति व मवेशियों के जमावड़े पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया था। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने महाधिवक्ता को बुलवाकर कहा था कि सड़कें खराब हैं और मवेशियों के कारण लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। यह बहुत पीड़ा जनक है। अगर कोर्ट न देखे तो क्या सरकार काम ही नहीं कराएगी। कोर्ट ने स्थिति को सुधारने के लिए कहा था।

टीएल बैठक में कलेक्टर ने भी दिया आदेश, पर असर नहीं

पिछली टीएल बैठक में ही कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आदेश दिया था कि निकाय अधिकारी व प्रतिनिधि एक टीम बनाएं और सड़कों पर विचरण करने वाली गौवंश को सुरक्षित स्थान पर रखें। इसके अलावा जन जागरूकता अभियान चलाए। इसके बाद भी अभी तक न कोई टीम बनी है और ना ही कोई नोडल अधिकारी सामने आया है।

*सड़क पर चलते समय मवेशियों से बचकर वाहन चलाएं। जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरोपी वाहन चालक का पता लगाया जा रहा है। - **रजनेश सिंह**, एसएसपी, बिलासपुर*

मवेशियों के कारण 166 हादसों में 43 की मौत, हाईकोर्ट के आदेश भी बेअसर

भास्कर इनसाइड

क्राइमरिपोर्टर | बिलासपुर

जिले में मवेशियों के कारण पिछले 5 साल में 166 हादसे हुए। इनमें 43 लोगों की जान चली गई। 68 लोग घायल हो गए हैं। नेशनल हाइवे से लेकर स्टेट रोड के अलावा बाजार, गली-मोहल्ले, कॉलोनी और शहर की सड़कों पर मवेशी आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। इनके कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं।

शहर की हर सड़क पर मवेशी

मंगला से उसलापुर सकरी व नूतन चौक से सीपत रोड, महाराणा प्रताप चौक से मंगला रोड, महामाया चौक से कोनी रोड, तोरवा से मोपका रोड, गांधी चौक से तोरवा चौक, लिंक रोड, राजेंद्र नगर रोड, नेहरू चौक से मंगला रोड, शनिचरी बाजार रोड, गोड़पारा,बृहस्पति बाजार, चिंगराजपारा में मवेशियों की संख्या बढ़ती जा रही है। शहर में 45 प्रतिशत मवेशियों के मालिक हैं और 55 प्रतिशत मवेशी आवारा घूमते हैं।

इससे पहले 2015 से हाईकोर्ट के लगातार निर्देश

- 9 सितंबर 2015 को हाईकोर्ट ने कहा - अफसर एसी कमरों से निकलकर सड़क पर जाकर देखें क्या हो रहा है?
- 4 नवंबर 2015 को सुनवाई के दौरान कोई जवाब नहीं आया, फिर कमिश्नर को तलब किया गया। उन्होंने जवाब दिया मवेशी पकड़े जा रहे हैं।
- 6 अप्रैल 2016 को फिर कोर्ट में एक जनहित याचिका में कोर्ट ने कहा लगातार हादसे हो रहे हैं। प्रशासन की ओर से कहा गया अव्यवस्था को दूर किया जा रहा है।
- 11 जुलाई 2017 को हाई कोर्ट ने फिर कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनाने के निर्देश दिए। समिति को अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए बैठक कर समीक्षा करने को कहा।
- 11 अक्टूबर 2017 को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा मवेशी गोशालाओं में रखें। किसानों को छूट नहीं दी जा सकती कि वे मवेशी ऐसे ही छोड़ दें।
- 10 अगस्त 2018 पूर्व सैनिकों की जनहित याचिका पर जिम्मेदार अफसरों की भूमिका तय करने और उन्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा।
- 17 जुलाई 2023 हाई कोर्ट की डबल बेंच ने मुख्य सचिव को सड़क से मवेशियों को हटाने के लिए कमेटी बनाने के निर्देश दिए।